*आन्ध्र प्रदेश वेतन और पेंशन का संदाय और निरर्हता हटाना अधिनियम, 1953

(1954 का अधिनियम संख्यांक 2)

[21 जनवरी, 1954]

मंत्रियों, उपमंत्रियों, विधान सभा में सचेतक, आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संसदीय सचिवों और सदस्यों तथा आन्ध्र प्रदेश विधान सभा की योजना और विकास समितियों के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता तथा विधान सभा में सचेतकों के वेतन और भत्तों का उपबंध करने के लिए [1][तथा विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्य के रूप में सेवा कर चुके व्यक्तियों की पेंशन का भी उपबंध करने के लिए अधिनियम

विधान-मंडल के अधिनियम द्वारा मंत्रियों, उपमंत्रियों, विधान सभा के मुख्य सचेतक, आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संसदीय सचिवों और सदस्यों तथा आन्ध्र प्रदेश विधान सभा में योजना और विकास समितियों के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता के वेतन और भत्तों तथा विधान सभा के सचेतकों [1][और विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्यों के रूप में सेवा कर चुके व्यक्तियों की पेंशन के लिए] भी उपबंध करना समीचीन है ।

कतिपय पदों के धारकों पर उक्त विधान सभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने के लिए और बने रहने के लिए अधिरोपित निरर्हता का हटाया जाना आवश्यक है अतः यह अधिनियमित किया जाता है, अर्थात् :---

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ---(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आन्ध्र प्रदेश [2][वेतन और पेंशन] का संदाय तथा निर्हरता हटाना अधिनियम, 1953 है ।

(2) यह 4 जनवरी, 1954 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

* * * * *

10. कतिपय निरर्हताओं का हटाना---कोई व्यक्ति केवल इस आधार पर कि वह इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी पद को धारण करता है, आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए या सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित नहीं होगा ।

---

* यह प्राधिकृत हिंदी पाठ नहीं है ।

[1] 1985 के आन्ध्र प्रदेश अधिनियम सं0 28 की धारा 2 द्वारा (31-10-1984) से जोड़ा गया ।

[2] 1985 के आन्ध्र प्रदेश अधिनियम सं0 28 की धारा 3 द्वारा (31-10-1984 से) प्रतिस्थापित तथा आन्ध्र प्रदेश के राजपत्र, तारीख 8-11-1985, असाधारण, क्रम सं0 47 के भाग IV-बी में प्रकाशित ।